दलित राजनीति और डॉ0 अम्बेडकरः एक अवलोकन

डॉ0 अनुराधा सिंह
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
सी0एम0पी0 डिग्री कॉलेज,
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

प्रदीप कुमार चौधरी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
सी0एम0पी0 डिग्री कॉलेज,
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश

ईमेलpcchaudhary1593@gmail.com

सारांश

जाति व्यवस्था, हिन्दू समाज के एक सामाजिक संगठन के रूप में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की अत्यधिक असमान पात्रता पर अधारित है। अनुसूचित जाति, जिनको पारंपरिक रूप से जाति पदानुक्रम के निचले पायदान पर रखा गया है, के लिए इस घोर भेदभाव और बहिष्कार का परिणाम चौतरफा अभाव और गरीबी है। भेदभाव और अभाव की भयावहता को देखते हुए ऐसे संवैधानिक प्रावधान आवश्यक थे, जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के माध्यम से अवसरों के एक समान वितरण में सक्षम हों, सामाजिक नीति और आर्थिक शोषण के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने वाले हों और सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए विशिष्ट वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने वाले हों। आधिकारिक रणनीति की परिकल्पना और दिशा योजनाबद्ध विकास और समाज के उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा में लाकर वितरणात्मक न्याय हासिल करना है।

डॉ0 अम्बेडकर जिन्होंने आधुनिक जीवन–मूल्यों से प्रभावित होकर परम्परागत भारतीय समाज की अमानवीय मान्यताओं, जन्म के आधार पर मानव मात्र का विभाजन, उच्च वर्गों के विषेशाधिकार एवं निम्न वर्गो की निर्योग्यताओं को अस्वीकार करके मानव मात्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की परिकल्पना की जो जन्म के स्थान पर कर्म और शोषण के बजाय पोषण पर आधारित होगा। भारत में अछूतों और दलितों अथवा जिन्हें अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास से संबोधित किया उन्हें समाज में बराबरी व समानता प्राप्त कराने के लिए आजीवन संघर्ष किया। अंबेडकर ने भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय के कारणों को खोजने के साथ ही अछूतों को एक सम्मानजनक व पृथक पहचान प्रदान करने की भी चेष्टा की।

मुख्य बिन्दु

अनुसूचित जाति, दलित, उत्पीड़ितों, जाति व्यवस्था, अधिकार, सम्मान, समानता।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 12.07.2024
Approved: 28.09.2024

डॉ0 अनुराधा सिंह
प्रदीप कुमार चौधरी

दलित राजनीति और डॉ0 अम्बेडकरः एक अवलोकन

RJPP April 24-Sept.24,
Vol. XXII, No. II,

PP. 124-131
Article No. 16

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2024-vol-xxii-no2

प्रस्तावना

''दलित'' मराठी, गुजराती, हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में एक प्रचलित शब्द है, जिसका अर्थ है गरीब एवं उत्पीड़ित। आन्दोलन एवं साहित्य के साथ जुड़ जाने से यह शब्द एक भिन्न अर्थ का बोध कराता है। यह एक ऐसे जनसमूह का बोध कराता है जिसे तोड़ दिया गया है और जिसे उसके सामाजिक दर्जे से ऊपर बैठे हुये लोगों ने जानबूझ कर नियोजित ढंग से कुचल डाला है। इस शब्द में छूआछूत कर्म सिद्धांत एवं जातिगत श्रेणी का नकार निहित है।[1]

भारत में दलित शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। दलित शब्द को वर्ग चेतना की दृष्टि से देखें तो यह शब्द जातियों तक मर्यादित न होकर एक वर्ग का प्रतिनिधि बन जाता है जिसमें समाज के सभी वंचित लोग इसमें शामिल होते हैं।[2] सामान्यतः दबाए, सताए, शोषित, उत्पीड़ित व्यक्तियों के वर्ग को दलित कहा जाता है। नगेन्द्रनाथ बासु हिन्दी विश्वकोश के अनुसार दलित का अर्थ है– दलमस्य जात, 1. प्रस्फुटित, प्रफुल 2. खंडित, टुकड़ा किया हुआ 3. विद्रोण, रौंदा हुआ, कुचला हुआ 4. विनष्ट किया हुआ।

दलित से अभिप्रायः है–समाज का वह हिस्सा जिसका धर्म एवं जाति की परम्पराओं के कारण दमन किया गया हो, सताया गया हो। अत्याचार, उत्पीड़न एवं जुल्म का शिकार बनाया गया हो। दलित एक सटीक शब्द है, क्योंकि यह न केवल उनकी पूरी स्थिति का निचोड़ है, बल्कि संघर्ष की भी प्रेरणा देता है। आज के समय में दलित एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्ति के रूप से पहचान जाने लगा है। इस दृष्टि से दलित केवल कमजोर वर्ग का प्रतीक मात्र न रहकर अस्मिता बोधक पहचान अर्जित कर चुका है।

अछूतों हरिजनों एवं उत्पीड़ितों के संघर्ष को वैचारिक आयाम देने के लिए अम्बेडकर के नव बौद्ध अनुयायियों ने दलित शब्द का प्रयोग प्रारम्भ किया। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि बलि बकरियों की दी जाती है शेरों की नहीं। अतः शेरों की तरह रहना सीखो। अम्बेडकर की इसी भावना से प्रेरित होकर नामदेव रसाल ने दलित शब्द में निहित हीन भावना को निकाल कर दलित के साथ पेन्थर शब्द जोड़ दिया तथा दलित पेन्थर संगठन की स्थापना की। दलित पेन्थर के सदस्यों ने उसी कीर्ति स्तम्भ के नीचे खड़ा होकर सदस्यता सम्बन्धी शपथ लेना प्रारम्भ किया, जिसमें महान योद्धाओं के नाम अंकित थे। इस प्रकार दलित शब्द का प्रयोग अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग पर आधारित वैचारिकी के रूप में किया जाने लगा, जिसका प्रयोजन रहा परम्परागत सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना में क्रांतिकरी रूपान्तरण कर अछूत एवं हरिजन कहे जाने वाले उत्पीड़ितों की स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना तथा समाज में उनकी सम्मानजनक स्थिति को प्रतिष्ठापित करना। गंगाधर पंतवाने का मानना है कि दलित एक जाति नहीं अपितु परिवर्तन एवं क्रान्ति का प्रतीक है।[3]

बाबा साहेब और दलितों का उद्धार –

डॉ. भीमराव अम्बेडकर 20वीं सदी के उन आधुनिक विचारकों में से एक हैं, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। समाज में उनका स्थान वैसा ही है जैसा कि मध्य युग में कबीर का था। जिस तरह कबीर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए तैयार थे और जिस तरह

उन्होंने अपने व्याख्यानों से समाज के दिशाहीन लोगों का मार्गदर्शन किया, ठीक उसी तरह, अंबेडकर ने हिंदू व्यवस्थापन पर बहुत अधिक जोर दिया, उन्होंने प्रचलित अस्पष्यता, धर्म द्वारा बनाई गई दुर्भावनाओं, असहनीय प्रथाओं तथा परंपराओं और उस वक्त के समाज की वर्णव्यवस्था की जोरदार आलोचना कर और समाज के पिछड़ों व दलितों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, समानता और स्वतंत्रता की भावना भरकर समाज में एक नए युग की शुरूआत की।

डा0 अम्बेडकर अस्पष्यता को मानवता व समाज पर कलंक मानते थे। यह बुराई भारत में सदियों से विद्यमान थी और इसका शिकार दलित वर्ग था। वे इस बुराई को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए सुनियोजित ढंग से संस्थागत आधार पर आंदोलन की शुरूआत करके समाज में क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने सदियों से पीड़ित दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने व अस्पष्यता को समाप्त करने के लिए 20 जुलाई 1924 को **'बहिष्कृत हितकारिणी सभा'** की स्थापना की।

बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य दलित समाज में शिक्षा का प्रचार–प्रसार था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न दलित छात्रावास की स्थापना की गई, साथ–ही–साथ दलित समाज के लोगों की सोच को परिवर्तित करने के लिए उनके लिए प्रौढ शिक्षा व रात्रि विद्यालयों की स्थापना की गई। जिससे दलित समाज में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना का संचार किया जा सके। अभी तक दलित समाज के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे जिसके कारण उनमें अधिकारों व स्वतंत्रता जैसी बुनियादी मूल्यों के ज्ञान का अभाव था। इसलिए डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि जब तक अछूतों व दलित समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक दासता की जंजीरों को तोड़ना सम्भव नहीं है।

जून, 1928 ई. में डॉ. अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' को भंग कर और उसके स्थान पर 'डिप्रेस्ड क्लास–एजूकेशन सभा' की स्थापना किया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के बिना अछूत अपने भाग्य को सुधार नहीं सकते थे। सवर्ण अपने स्कूलों में अछूत विद्यार्थियों को घुसने नहीं देते थे और सवर्ण शिक्षक अछूत बालकों को नहीं पढ़ाते थे। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने अछूतों में शिक्षा एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से कई संगठनों–बहिष्कृत हितकारिणी सभा, भारतीय बहिष्कृत समाज सेवा संघ, समाज समता मण्डल, समता सैनिक दल इत्यादि की स्थापना किये थे।[4]

मई, 1929 ई. में डॉ. अम्बेडकर ने **बराड़ के अछूत सम्मेलन में** भाषण देते हुए कहा था कि जब सामाजिक उत्पीड़न सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाय तब अछूत भाईयों को चाहिए कि वे अपना धर्म बदलकर कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लें।" उसके परिणामस्वरूप 4 जून, 1929 ई. को जलगाँव के लगभग 12 महारों ने सचमुच मुसलमान बन गए। इससे कट्टरपंथियों में थोड़ी सनसनी फैली। उन्होंने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का हथियार अपनाया जिससे गरीब अछूतों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसके उत्तर में डॉ. अम्बेडकर ने बम्बई के एक अछूत सम्मेलन में भाषण देते हुए सवर्णों को चेतावनी दी कि वे दलितों पर होने वाले उत्पीड़न को जल्द बन्द करें।[5]

मई **1930 में** नासिक के **कालाराम मंदिर प्रवेश** के लिए आंदोलन शुरू किया गया। अंबेडकर का मानना था कि इस तरह का सत्याग्रह अन्य मंदिरों में प्रवेश के लिए सहायक होगा और हिंदुओं का ह्रदय परिवर्तन करेगा। दलित आंदोलन के इतिहास में यह घटना धर्म –सत्याग्रह के

रूप में प्रसिद्ध है। डॉ0 अंबेडकर ने इसमें प्रवेश के लिए 2 मार्च, 1930 का दिन ही तय किया जिस दिन गाँधी जी ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। 'डॉ0 अंबेडकर ने धर्म–सत्याग्रह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि को ही इसलिए आरम्भ किया था ताकि हिंदुओं और गाँधीजी को यह अनुभव हो सके कि जो शिकायत उन्हें अंग्रेजी सत्ता से है, वहीं शिकायत अछूतों की हिंदुओं की सत्ता से भी है।[6] मंदिर प्रवेश को लेकर 1930 से 1935 तक कई बार प्रयत्न हुए अंततः मंदिर के दरवाजे खोल दिये गए। इस प्रकार विशमता के विरोध में जारी इस लड़ाई में बाबा साहब को सफलता मिली।

सामाजिक परिवर्तन का अंबेडकर का तरीका समकालीन राजनेताओं और सुधारकों से भिन्न था। उपनिवेशवाद के विरुद्ध तिलक और गाँधी का संघर्ष सिर्फ वही तक सीमित नहीं था अपितु इन नेताओं ने सामाजिक विशमता को भी समाप्त करने का आग्रह किया। बड़ौदा के महाराज शिवाजी राव की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय दलित महासम्मेलन जो कि बम्बई में संपन्न हुआ में तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। जिसमें अस्पष्यता निवारण की चर्चा हुई। तिलक जैसे नेताओं ने तो यहां तक कहा कि 'यदि ईश्वर छुआछूत बर्दाश्त करता है तो मुझे ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं।' लेकिन अंबेडकर को सवर्ण नेतृत्व द्वारा छुआछूत की समाप्ति हेतु प्रयासों पर संदेह था। इसके विपरीत उनकी धारणा दलितों को पृथक निर्वाचन दिलाने के पक्ष में ज्यादा झुक रही थी।

1919 के मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों हेतु रिपोर्ट तैयार करने के लिए साउथब्रो कमीशन नियुक्त किया गया। मताधिकार हेतु गठित इस कमीशन को भारत के विभिन्न वर्ग समूहों के साक्ष्य एकत्र करना था। कांग्रेस की ओर से जवाहर लाल नेहरू और राजेन्द्र प्रसाद थे तथा दलित वर्ग से डॉ0 अंबेडकर और वी0आर0 शिन्दे को बुलाया गया। इस साक्ष्य में अंबेडकर ने दलितों के लिए आबादी के अनुपात में धारा सभाओं में सीट आरक्षित रखने और पृथक निर्वाचन के अधिकार की जोरदार वकालत की। उन्होंने होमरूल से पूर्व सामाजिक एकता स्थापित करने की माँग की। उनका मानना था कि स्वशासन हो जाने पर भी सवर्ण की गुलामी से दलितों को मुक्ति नहीं मिली तो ऐसे स्वशासन का कोई अर्थ नहीं होगा। उन्होंने यह भी मांग की कि अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का

अधिकार केवल उसी वर्ग के लोगों का होना चाहिए।[7]

डॉ0 अंबेडकर अछूतों को इस प्रकार का अधिकार दिलाकर उनके आत्मविश्वास व अधिकार को मान्यता देने का प्रयास कर रहे थे। डॉ0 अंबेडकर समाज के दलित शोषित वर्ग को राजनीतिक उपकरण के माध्यम से आत्मसम्मान जगाना चाहते थे। पृथक निर्वाचन के बारे में उन्होंने कहा कि, हमने पृथक निर्वाचन मंडल की माँग करके हिंदू समाज का अहित नहीं सोचा है। हमने अलग निर्वाचन मंडल का रास्ता इसलिए चुना ताकि अपने भाग्य निर्धारित करने में हमें सवर्ण हिन्दुओं की कृपा पर निर्भर न रहना पड़े।[8]

डॉ. भीम राव अम्बेडकर को जहां एक तरफ दलितों का मसीहा तथा संविधान का निर्माता कहा जाता है वहीं इनको कुछ आलोचकों ने पृथकतावादी भी कहा जिसका कारण उनके द्वारा दलितों के लिये सुरक्षित पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने के पश्चात् डॉ. अम्बेडकर ने भी अछूतों के लिये अलग प्रतिनिधित्व की मांग की और कहा कि दलित वर्गों

के लिए उनकी आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किये जायें। इन निर्वाचन क्षेत्रों में केवल दलित उम्मीदवार खड़े हों तथा उनका चुनाव भी केवल दलित मतों के द्वारा ही होना चाहिए लेकिन डॉ. अम्बेडकर के इस प्रस्ताव को ब्रिटिश प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के बाद उन्होंने पुनः पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को उठाया तथा बम्बई विधान परिषद् की 140 सीटों में कम से कम 22 सीटें दलित वर्ग के लिये आरक्षित करने की मांग की।[9]

उन्होंने सरकार द्वारा एक अथवा दो दलित प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की प्रचलित प्रथा को समर्पित करके दलित चुनाव क्षेत्रों के आरक्षण का सुझाव रखा।

डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक अधिकारों के साथ–साथ व्यक्ति के विकास के लिए राजनैतिक अधिकारों को आवश्यक समझते थे। इसलिए उन्होंने दलितों के राजनैतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। राजनैतिक अधिकारों के न होने के कारण ही सदियों से दलितों की दयनीय दशा रही थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तब उन्होंने उसके सामने दलितों की समस्याओं को प्रस्तुत किया और एक लम्बी गवाही दलितों के हित में दी। इसमें कहा गया कि दलितें को एक विषिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग माना जाय व उन्हें राजनैतिक सुरक्षा प्रदान की जाय। इसमें स्पष्ट किया गया कि सवर्ण हिन्दू दलितों को सामाजिक अधिकार देने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है और उनके द्वारा संचालित समाज सुधार की योजनाएं निराधार है।

इस प्रकार उन्होंने दलितों की समस्याओं की तरफ साइमन कमीशन का ध्यान दिलाया और इन समस्याओं का राजनैतिक हल ढूंढ़ना शुरू किया। प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डा. अम्बेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। इन सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार का ध्यान दलितों की समस्याओं के तरफ आकर्शित किया और उन्होंने दलितों के राजनैतिक अधिकारों की जोरदार वकालत की।

इस प्रकार भारतीय संविधान के मुख्य सूत्रधार डॉ. अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत में दुर्बल वर्ग की समस्याओं को पहले से ही देख लिया था। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तथाकथित दलितों के लिए मानवाधिकारों और न्याय का उल्लंघन न हो, उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में कुछ उपबंध प्रतिष्ठापित किए। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया है जो अस्पष्यता के आचरण को प्रतिशेध करता है यह डॉ. अंबेडकर ही थे जिन्होंने दलित–अछूतों को उनकी सैद्धांतिक नींद से जगाया और उन्हें गुलामी और दासत्व की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दलितों को उनकी सामाजिक विरक्ति, राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक निर्धनता और धार्मिक शून्यता से अवगत कराया। डॉ. अंबेडकर हमेशा से ही विचार–स्वातंत्रय के कट्टर समर्थक थे, और वास्तव में साधारण तौर पर भारतीयों के लिए तथा विशेष रूप से अछूतों के लिए वे नवीन विचारों के दर्पण बन गए थे।

प्रभाव :– डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के विचारों का दलित राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपने समय में प्रचलित कट्टरपंथी एवं अमानवीय रूढ़ियों, परम्पराओं व मान्यताओं के खिलाफ न केवल सन्देश दिया, वरन् अन्याय के प्रतिरोध, न्याय व्यवस्था और सामाजिक समानता के लिए किए जाने वाले संघर्ष का नेतृत्व भी किया। डॉ0 अम्बेडकर अपने क्रांतिकारी विचारों के द्वारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया। जिनका उल्लेख हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते

हैं–

आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में डॉ0 अम्बेडकर एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने अपने विचारों एवं चिन्तन से हिन्दू समाज की बुराईयों को प्रकाश में लाकर उन्हें संकीर्णता के वातावरण से बाहर निकाला है। उन्होंने परम्परागत हिन्दू समाज की अस्पष्य एवं छूआछूत की मान्यताओं पर कठोर प्रहार कर हिन्दू समाज की गतिशीलता को पुर्नस्थापित किया है।

डॉ0 अम्बेडकर भारतीय हिन्दू समाज में प्रचलित सामाजिक अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के विरूद्ध क्रांति के प्रतीक थे। संविधान एवं विधिक क्रांति के जानकार उन्हें, सामाजिक न्याय का मसीहा और सामाजिक दासता के कट्टर शत्रु के रूप में स्मरण करते हैं। उन्होंने न्याय की अवधारणाओं का नया रूप दिया। डॉ0 अम्बेडकर ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा, 'न्याय सामान्यतः समानता और बंधुत्व का दूसरा नाम है।[10]

डॉ0 अम्बेडकर ने भारत में जाति प्रथा की जड़ों को काफी प्राचीन माना। उन्होंने अमेरिका में रहते हुए विज्ञान पर आयोजित एक गोष्ठी में एक निबंध पढ़ा जिसका विषय था, 'भारत में जाति : उद्गम विकास और स्वरूप'। उन्होंने इस बात का खण्डन किया कि जाति प्रथा का निर्माण मनु ने नहीं किया बल्कि जाति व्यवस्था मनु से पहले भी अस्तित्व में थी।[11] जाति व्यवस्था के कारण हिन्दुओं में उदासीनता और अकर्मण्यता व्याप्त हुई है, जिससे संकीर्णता का विकास हुआ तथा हिन्दुओं के

मध्य आपसी सद्भाव एवं भ्रातृत्व की भावना का मार्ग अवरूद्ध हुआ। इस तरह से उन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रबल प्रहार किया तथा उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दृष्टि से निरर्थक व अनुपयोगी बताया।

इसी प्रकार डॉ0 अम्बेडकर ने विभिन्न मंचों पर दलितों को सामाजिक व राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन काल से ही दलितों के पक्ष को प्रस्तुत किया।[12] साउथबरों समिति तथा साइमन कमीशन के सम्मुख उन्होंने दलितों के न्यायपूर्ण हितों की वकालत की जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासन ने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिये जाने सम्बन्धी डॉ0 अम्बेडकर की मॉग को स्वीकार कर लिया। लेकिन गाँधी जी ने इसका विरोध किया और बाद में दोनों लोगों के बीच पूना समझौता (1932) हुआ, जिसके फलस्वरूप डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मॉग का परित्याग कर दिया।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर देखें तो डॉ0 अम्बेडकर के प्रयासों से ही भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा का महत्व बढ़ा है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जड़ें भी कमजोर हुई हैं तथा राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। इसके साथ ही साथ वह बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय के लिए संविधान देकर भारत को एक खुशहाल राष्ट्र बनाने का भी प्रयत्न किये हैं।

निष्कर्ष

डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को नारा देते हुए कहा दास को उसकी दासता का अहसास करा दो, वह अपनी दासता के विरूद्ध स्वतः ही विद्रोह कर देगा। अनेक महात्मा आए और चले गए परन्तु

अछूत–अछूत ही रहे, उनका सुधार न हो सका। हालांकि उनके जीवन का लक्ष्य अछूतों का सुधार करना व छुआछूत समाप्त करना था। इस कथन से भारतीय दलित शोषित समाज पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्हें अपना दासता एवं दयनीय स्थिति के बारे में ज्ञान हुआ और अपने अधिकारों की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। उन्होंने 9 मार्च 1924 को बम्बई के दामोदर हाल में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की।[13]

बाबा साहेब दलितों के लिए अवसर की समानता लाना चाहते थे, वे उन्हें अन्य नागरिकों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्होंने दलितों को कहा कि अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो जाओ। उनके अनुसार अपनी ऐसी दशा के जिम्मेदार वे स्वयं ही हैं, क्योंकि वे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष नहीं करते। उन्होंने दलित वर्ग को कहा कि 'शेर बनो बलि तो बकरियों की दी जाती है।' इस प्रकार सुप्त अवस्था से दलितों की चेताया। उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष करने का व उसे नष्ट करने का संकल्प लिया। उनके अनुसार 'दुनिया के दूसरे देशों में क्रान्तियाँ हुई हैं मेरे मन को यह सवाल बराबर परेशान करता रहा है कि भारत में इस तरह की क्रान्तियाँ क्यों नहीं हुई। इसका मैं एक ही जवाब दे सकता हूँ कि चातुर्वर्ण के कारण हिन्दू समाज की छोटी जातियाँ कोई भी सीधी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल अशक्त हो गई हैं। वे शस्त्र नहीं उठा सकती और शस्त्र उठाए बिना कोई विद्रोह नहीं कर सकतीं।[14] उनके अनुसार शिक्षा के बिना कोई दलित सामाजिक, आर्थिक स्तर पर ऊपर नहीं उठ सकता। जैसे भी हो शिक्षा प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, इसके लिए चाहे जंगलों की खाली जमीनों पर मेहनत ही क्यों न करनी पड़े। शिक्षा से ही उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने सबसे अधिक जोर फुले के उस कथन पर दिया कि 'अविद्या ही अज्ञान ही जननी है।' उन्होंने **'एजुकेट, एजीटेट, ओरगेनाइज'** का नारा दिया।

अम्बेडकर दलितों की विमुक्ति के लिए शिक्षा को सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। 'दलितों में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924), डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसायटी (1928), तथा पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी (1946) की स्थापना की। पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी के तत्वाधान में उन्होंने बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज (1946) तथा औरंगाबाद में मिलिन्द कॉलेज (1951) की स्थापना की।

अम्बेडकर के अनुसार हम गुलामी को इसलिए प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमारे पास शक्ति व ज्ञान नहीं था और इनकी प्राप्ति का एकमात्र माध्यम शिक्षा ही होती है। बाबा साहब ने राजनीति को सभी तालों की चाबी माना है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की राजनैतिक विचारधारा राजनैतिक सत्ता ही वह चाबी है जिससे सारे विकास के बन्द दरवाजे खुलते हैं। इसी राजनैतिक विचारधारा को साथ लेकर दलित समाज के लोगों में बड़े पैमाने पर राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई है क्योंकि दलित समाज के लोगों को मालूम हो चुका है कि यदि उन्हें मानव अधिकारों को संरक्षण और दलित समाज का विकास करना है तो राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करना होगा। डॉ0 अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर कांशीराम ने जातियों के गणित का विश्लेषण करके दलित राजनीति को मजबूत करने का प्रयास किया क्योंकि उनको मालूम था कि वोटों की ताकत से ही शासक पैदा हो सकता है।

संदर्भ

1. दुबे, अभय कुमार – आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 124–125।
2. कपाड़िया, प्रेम – हम दलित, जून 2002, पृष्ठ 13, भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली, पृष्ठ 24।
3. कोठारी, रजनी – राइज ऑफ दलित्स एण्ड द रिन्यूड डिबेट आन कास्ट, ई. पी. डब्लू, 25 जून, 1994।
4. कीर, धनंजय – डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ 110
5. कीर, धनंजय : बाबा साहब अम्बेडकर जीवनचरित्र (अनु0 गजानन्द सुर्वे) पापुलर प्रकाशन, नई दिल्ली 2022, पृष्ठ 129–130
6. भारती, कंवल, – दलित विमर्श की भूमिका, इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद, हरियाणा, 2004, पृष्ठ 61
7. कुबेर, डब्लयू0एन0, डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर, वही, पृष्ठ 27
8. सिंह, डॉ0 अनुराधा, अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों के सामाजिक आयाम, हर्षवर्द्धन पब्लिकेशन प्रा0लि0 महाराष्ट्र, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 74
9. बी0आर0 अम्बेडकर, 'रिपोर्ट ऑन दि कान्स्टीट्यूषन ऑफ द गवर्नमेन्ट ऑफ बाम्बे प्रेसीडेन्सी' इन डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर, रिटेन एण्ड स्पीचस,
Vol. 2, बाम्बे : गवर्नमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र, 1982, पृष्ठ 338–400
10. डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर, रायटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड–3, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, बम्बई, 1987, पृष्ठ 35
11. डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर : रायटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड–1, सम्पादक, संकलन बसन्त, मून, पृष्ठ16
12. डॉ0 सिंह, राम गोपाल ' सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994, पृष्ठ103
13. सत्यनारायण, बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, इंडिपैंडेंट पब्लिशिंग कम्पनी दिल्ली, 1992, पृष्ठ 150।
14. लिमये, मधु, बाबा साहब अम्बेडकर, एक चिन्तन,आत्मा राम एण्ड सन्,सनई दिल्ली, पृष्ठ 30।